न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी श्री करतारसिंह पूनियां आर.ए.एस.

अपील संख्या 64/2020

मदन लाल पुत्र कुम्भाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एन टी आर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

——अपीलार्थी

बनाम

1. संतलाल पुत्र नानक राम जाति सैनी निवासी चक 23 एन टी आर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. बलवन्त सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयांन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़——मृतक

2/1	मेजर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह	जातियान जटसिख निवासीयान ढाणी अराईयांन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2/2	बलजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह	
2/3	तलविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह	
2/4	गुरचरण सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह	

3. समत देवी पत्नी बजरंग लाल जाति छाजेड़ निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार नोहर।

—— रेस्पोडेंट्स

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनांक 11.02.2019, प्र. सं. 350/2018

श्री नरेन्द्रकिशोर जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी

श्री मनीराम सरावग, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री हरीसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2

श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:30 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय दिनांक 11.08.21

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नोहर के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 का पेश कर कथन किया कि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खाते की कृषि भूमि चक 14 बारानी के पत्थर नम्बर 315/429 (15) के किला नम्बर 15 से 17, 24 व 25 की 0.8990 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 316/429 (16) किला नम्बर 20, 21, 23, 24 की 1.0120 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 317/430 (30) के किला नम्बर 21 से 23 की 0.759 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 316/430 (31) के किला नम्बर 3, 4, 6 से 8, 11 से 25 की 5.0600 हैक्टेयर, पत्थर नम्बर 315/430 (32) के किला न. 4, 5, 7, 8 की 0.9870 हैक्टेयर कुल 8.7170 हैक्टेयर भूमि है। उक्त भूमि में वादी का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 का 1/8 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। भूमि संयुक्त होने से काश्त आदि करने में परेशानी होती है। प्रतिवादीगण अच्छी भूमि को बिना विभाजन करवाये बेचान करने की धमकी दे रहे हैं। वादी ने प्रतिवादीगण को कई बार विभाजन करने के लिए कथन किया लेकिन वो इन्कार हो गये। अतः निवेदन है कि उक्त भूमि की किस्म अनुसार विभाजन कर वादी व प्रतिवादीगण का खाता अलग किया जावे।

2. वाद पेश होने पर वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब करने के आदेश दिये। दिनांक 30.04.2018 को पत्रावली में आगामी तारीख पेशी 20.06.2018 नियत की गई। तत्पश्चात् पत्रावली में दिनांक 01.06.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी कर दी एवं तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाये जाने के आदेश दिये। विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर दिनांक 11.02.2019 को अन्तिम डिक्री जारी कर दी जिसके विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:30 IST
Reason: SelfAttested

3. उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने एक तरफा तौर पर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने जो विभाजन का प्रस्ताव प्राप्त हुआ उस पर अपीलांट को सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल के नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की है। तहसीलदार द्वारा स्वयं मौका निरीक्षण नहीं किया गया है। विभाजन प्रस्ताव पटवारी हल्का द्वारा तैयार किया गया है, जो वादी को लाभ पहुंचाने हेतु तैयार किया गया है। अपीलाधीन आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया गया है जिसकी जानकारी होने पर नकल प्राप्त कर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद मानी जाकर, अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपनी बहस में कथन किया कि विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रतिवादीगण के नाम जो नोटिस जारी किये गये है, उनकी पुश्त पर लेने से इन्कारी होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने एक तरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश विधि सम्मत पारित किया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

6. बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7. अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 11.02.2019 के विरूद्ध दिनांक 01.07.2020 को पेश की है जिसके लिए मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है जिसका खण्डन रेस्पोडेंट द्वारा प्रत्युतर मय शपथ पत्र पेश कर नहीं किया है। इसके अलावा अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:30 IST
Reason: SelfAttested

आदेश अपीलांट को बिना सुने पारित किया है। ऐसी स्थिति में अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

8. जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली वादी के प्रार्थना पत्र पर राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में रखी गई जिस पर तहसीलदार से विभाजन के प्रस्ताव मंगाने के आदेश दिये गये एवं तहसीलदार नोहर को मौका कमीशनर नियुक्त किया गया एवं प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 01.06.2018 को प्राथमिक डिक्री जारी करने के आदेश दिये गये, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी ने कोई अपील पेश नहीं की। ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 01.06.2018 अन्तिम हो चुका है।

9. विभाजन के प्रस्ताव प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 04.02.2019 को प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिये गये। प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के नोटिस पर यह रिपोर्ट आई है कि नोटिस लेने से इन्कार एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 11.02.2019 को वकील वादी को सुना जाकर अन्तिम डिक्री जारी करने के आदेश दिये जिसके विरूद्ध ही अपीलांट ने यह अपील पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध नक्शा मौका एवं तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित प्रस्ताव का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट है कि सभी पक्षकारों को उसके हिस्सा की भूमि एवं काश्त खाला आदि को दृष्टिगत रखते हुए विभाजन करने की अनुसंशा की गई है। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में यह कहीं अंकित नहीं किया कि उसे उसके हिस्से से कम भूमि दी गई हो या किसी अन्य पक्षकार को ज्यादा भूमि दी गई हो। अपीलांट ने अपनी अपील में मात्र यह अंकित किया है कि राजस्थान काश्तकारी राजस्व मण्डल नियम 1955 के नियम 18

राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karnar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:30 IST
Reason: SelfAttested

से 21 की पालना करने हेतु विभाजन प्रस्ताव की मांग की गई थी, किन्तु इस संबंध में अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में कोई आपत्ति पेश की हो, ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को दृष्टिगत रखते हुए प्रतिवादीगण को नोटिस जारी करने के उपरान्त उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं आने पर अन्तिम डिक्री जारी कर दी। अन्तिम डिक्री में किसी के हक व अधिकारों की घोषणा नहीं होती, बल्कि विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी की जाती है, चूंकि अपीलांट ने प्राथमिक डिक्री को चुनौती नहीं दी है और न ही चुनौतीग्रस्त किये जाने का कोई कथन किया है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने प्राथमिक डिक्री जारी करने के उपरान्त विभाजन प्रस्ताव प्राप्त होने पर अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में हमारे विचार से कोई विधिक त्रुटि नहीं की है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं उपखण्डाधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2019 यथावत रखे जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 11.08.21 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

11/8/21

(करतारसिंह पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Karrar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:30 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व सीगे अपील
न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ़
बइजलास करतार सिंह पूनियाँ आर0ए0एस0

अपील संख्या 64/2020

मदन लाल पुत्र कुम्भाराम जाति सैनी निवासी चक 23 एन टी आर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। **——अपीलार्थी**

बनाम

1. संतलाल पुत्र नानक राम जाति सैनी निवासी चक 23 एन टी आर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2. बलवन्त सिंह पुत्र गुरजन्ट सिंह जाति जटसिख निवासी ढाणी अराईयांन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़——मृतक

2/1	मेजर सिंह पुत्र बलवन्त सिंह	जातियान जटसिख निवासीयान ढाणी अराईयांन तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
2/2	बलजीत सिंह पुत्र बलवन्त सिंह	
2/3	तलविन्द्र सिंह पुत्र बलवन्त सिंह	
2/4	गुरचरण सिंह पुत्र नक्षत्र सिंह	

3. समत देवी पत्नी बजरंग लाल जाति छाजेड़ निवासी नोहर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. राजस्थान सरकार, जरिये तहसीलदार नोहर। **—— रेस्पोडेंट्स**

अपील अर्न्तगत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
विरूद्ध आदेश उपखण्ड अधिकारी नोहर, दिनांक 11.02.2019, प्र. सं. 350/2018

आज यह अपील रूबरू हाजिर श्री नरेन्द्रकिशोर जोशी, अभिभाषक अपीलार्थी, श्री मनीराम सरावग, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1,श्री हरीसिंह, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2, श्री राजेश कौशिक, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेण्ट की ओर से पेश होकर हुक्म हुआ है कि अपीलांट अस्वीकार की जाती है एवं उपखण्डाधिकारी नोहर का अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 11.02.2019 यथावत रखे जाते हैं।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 11.08.21 को जारी की गई।

राजस्व अपील अधिकारी हनुमानगढ़ (राज.)

11/8/21
(करतार सिंह पूनियाँ) आर.ए.एस.
राजस्व अपील प्राधिकारी
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Kartar Singh Poonia
Date: 2021.09.06 14:47:30 IST
Reason: SelfAttested